:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल RAS

मुकदमा नम्बर 31 / 2021

प्रस्तुत दिनांक 19.02.2021
फैसल दिनांक 24.07.2024

श्रीमति वाली पत्नि कचरा उर्फ हकरा निवासी नागरिया पंचेला तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर।

–वादीया

बनाम

1 श्री कांति पिता अरसन रोत जाति मीणा निवासी नागरिया पंचेला तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर।
2 श्री अरसन पिता मक्सी रोत जाति मीणा निवासी नागररिया पंचेला तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर।
3 श्री मान् तहसीलदार एवं उपपंजीयक महोदय सीमलवाडा जिला डूँगरपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 188, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
सपठित धारा 212 जा.दी.

उपस्थितः–
अधिवक्ता वादीः– श्री श्रवण रावल।
अधिवक्ता प्रतिवादीः– श्री कपिल देव।
अधिवक्ता प्रतिवादी राज्य सरकार राजकीय पेरोकार।

::निर्णय::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीया द्वारा इस आशय का वाद इस न्यायालय में पेश किया कि वादीया खसरा नम्बर 1469 / 910 की खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजी में निर्माण कार्य करने अतिक्रमण करने आमादा है। खातेदारी आराजी में काश्त कार्य करने मे रूकावट पैदा करते है। जान से खत्म करने की धमकीयां दे रहे है एवं अन्य तथ्यों का उल्लेखित अपने वाद मे करते हुए प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने निवेदन किया गया।

प्रकरण मे वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. एक और दो की ओर से अधिवक्ता कपिलदेव द्वारा वकालतनामा पेश किया। बावजूद कई अवसर दिए जाने तथा अंतिम अवसर पर दिए जाने पर भी जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया, जिस पर जवाबदावा बंद किया गया।

प्रकरण मे जवाबदावा प्रस्तुत नही होने से प्रकरण मे साक्ष्य वादीया ली गई। वादीया की ओर से वादीया स्वयं, गवाह हकरा, सवा के बयान प्रस्तुत हुए। वादीया की ओर से जमाबंदी प्रदर्श एक को प्रदर्शित करवाया गया। साक्ष्य वादीया बंद की गई। प्रतिवादीगण की साक्ष्य बंद की जाकर प्रकरण में बहस समायत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए वादीया के पक्ष में वाद निर्णित किए जाने कथन किया गया। हमारे द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय द्वारा इस बिन्दु को तय किया

Scanned with OKEN Scanner

जाना है कि क्या वादीया स्थायी निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है? इस संबध में दस्तावेज प्रदर्श एक को देखे जाने पर यह सिद्ध तथ्य है कि वादीया वाद ग्रस्त भूमि की खातेदार काश्तकार है, जिसमे काश्त करने का वादीया को एक मात्र अधिकार है तथा प्रतिवादीगण का इस भूमि से कोई संबध हो इस संबध में भी कोई भी तथ्य रेकार्ड पर प्रस्तुत नहीं है और ना कोई जवाब दावा पेश हुआ है। इसलिए मेरे विनम्र मत मे वादीया भूमि की खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण द्वारा विवाद किया जा रहा है एवं काश्त मे रूकावट पैदा की जा रही है। ऐसी स्थिति मे वादीया अपने पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादीया के वादग्रस्त आराजी में उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा ना तो स्वयं करे और ना ही अपने मित्र, एजेन्ट, ठेकदार से करावे। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे। निर्णय आदेश आज दिनांक 24.07.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner